रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2002/फाल्गुन 2, 1923
No. 187] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2002/PHALGUNA 2, 1923

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2002

का. आ. 222(अ).—केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 की चतुर्थ अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (2) के उपबंधों के अनुसरण में, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग), संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, केन्द्रीय सचिवालय अनुभाग अधिकारी ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड "ख" (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिये, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम, केन्द्रीय सचिवालय अनुभाग अधिकारी ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड "ख" (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) संशोधन विनियम, 2002 है।

(2) ये 3 अक्तूबर, 2000 की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय अनुभाग अधिकारी ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड "ख" (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1964 के विनियम 7 के उपविनियम (2) के बाद निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा और 3 अक्तूबर, 2000 से यह अंतःस्थापित समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(3)आयोग के द्वारा संस्तुत आरक्षित कोटे की कमी को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियों की संख्या को अर्हक मानक में छूट प्रदान करते हुए, बशर्ते कि सेवा चयन हेतु इन उम्मीदवारों की उपयुक्तता परीक्षा की योग्यता क्रम में उनके रैंक पर विचार किए बिना किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के द्वारा नहीं भरा जा सकता।"

व्याख्यात्मक टिप्पणी—इस विभाग के दिनांक 3-10-2000 के का.ज्ञा.सं. 36012/23/96-स्था. (रिस.) वाल्यूम-II के अन्तर्गत जारी अनुदेशों के अनुरूप संविधान के (82वां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड/आशुलिपिक ग्रेड "ख" (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1964 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) के उपबंधों को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया है जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के पक्ष में, आरिक्षत कोटे की कमी को पूरा करने के लिए अर्हक मानक में छूट प्रदान करते हैं। उक्त उपबंध के विनियम 7 के उप-विनियम (3) को श्री एस. विनोद कुमार बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में इस विभाग के दिनांक 30-11-1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 1047(अ) के तहत पहले ही रद्द किया जा चुका है।

पाद टिप्पण—मुख्य विनियम दिनांक 23 मार्च, 1964 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 523 में प्रकाशित किए गए और बाद में सा.का.नि. 1 दिनांक 24 दिसम्बर, 1974 और सं. का.आ. 1047(अ) द्वारा दिनांक 30-11-1998 द्वारा संशोधित किए गए।

[फा. सं. 5/6/2000-के.से.-I]

आर. के. गोयल, निदेशक (के.से.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2002

S.O. 222(E).—In pursuance of the provisions of sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Fourth Schedule to the Central Secretariat Service Rules, 1962, the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), in consultation with the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations, further to amend the Central Secretariat Service Section Officers' Grade/Stenographers' Grade 'B' (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1964, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Central Secretariat Service Section Officers' Grade/Stenographers' Grade 'B' (Limited Departmental Competitive Examination) Amendment Regulation, 2002.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 3rd day of October, 2000.

2. In the Central Secretariat Service Section Officers' Grade/Stenographers' Grade 'B' (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1964, in regulation 7, after sub-regulation (2), the following shall be inserted, and shall be deemed to have been inserted on and from the 3rd day of October, 2000, namely :—

"(3) Candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination."

Explanatory Note—In conformity with the instructions issued vide this Department's O.M. No. 36012/23/96-Estt. (Res.) Vol. II dated 3-10-2000, pursuant to the Constitution (82nd Amendment) Act, 2000, the Central Government has decided to restore the provision of sub- regulation (3) of regulation 7 of the Central Secretariat Service Section Officers' Grade/Stenographers' Grade 'B' (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1964, which provided for relaxed qualifying standards in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates to make up the deficiency in the reserved quota. The aforesaid provision of sub-regulation (3) of regulation 7 earlier stood omitted vide this Department's Notification No. S.O. 1047(E) dated 30-11-1998, in compliance with the Supreme Court's judgement in the case of S. Vinod Kumar V/s. Union of India.

Footnote—The principal regualtions were publised vide notification number GSR 523 dated the 23rd March, 1964 and subsequently amended vide No. GSR 1 dated 24th December, 1974 and Notification No. S.O. 1047(E) dated 30-11-1998.

[F. No. 5/6/2000-C.S.-I]

R. K. GOEL, Director (CS)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.